

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक,
प्रथम उदयपुर, एवं जिला उदयपुर।

.... प्रार्थी

बनाम

1. भैरूलाल अहीर पुत्र श्री हरिराम निवासी 24, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)।
2. अम्बालाल अहीर पुत्र श्री हरिराम निवासी 24, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)।
3. शंकरलाल अहीर पुत्र श्री हरिराम निवासी 24, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)।
4. चम्पालाल अहीर पुत्र श्री हरिराम निवासी 24, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)।
5. श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री श्याम लाल यादव निवासी 50, कृष्णपुरा 24, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)।
6. हरिराम अहिर पुत्र श्री जयराम निवासी 24, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)। (दिनांक 17.04.2011 को फौत जिनके अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 विधिक वारिसान है।) ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री अशोक नाथ योगी
अभिभाषक

....प्रार्थी की ओर से

....अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.10.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 21.08.2015 प्रकरण संख्या 373/2012 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक प्रथम उदयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा 1 ता 4 के मध्य प्रलेख विभाजन पत्र दस्तावेज क्रमांक 5376 दिनांक 05.10.2009 पंजीबद्ध कर पक्षकारों का लौटा दिया जिस पर उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने ऑडिट के दौरान यह आक्षेप लिया कि अधिनियम के आर्टिकल 42 के अनुसार विभाजन पर सम्पत्ति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुए शेष अलग हुए हिस्से पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य होगा तथा अधिसूचना दिनांक 09.07.98 द्वारा प्रदान की गई छूट इस दस्तावेज पर देय नहीं होगी क्योंकि यह अधिसूचना अधिनियम से असंगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर अधिसूचना दिनांक 09.07.98 लागू होना मानते हुये रेफरेन्स खारिज किया है जिसके विरुद्ध राज्य पक्ष की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

२०७

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं 6 की मृत्यु दिनांक 17.04.2011 का हो गई है जिनके विधिक वारिसान पहले से ही अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 है, अतः अप्रार्थी सं 6 का नाम हटाया जाये। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 6 का नाम हटाया गया।
4. विभागीय पैरोकार राज ने निवेदन किया कि महालेखाकार ऑडिट दल ने जांच के दौरान इस दस्तावेज को कमी मालियत का माना है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के आर्टिकल-42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपत्ति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुए शेष हिस्सों को मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज के सबसे बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज के सबसे बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की कीमत रु. 19,09,103/- होती है। इस आधार पर अंतर राशि रु. 85,454/- वसूली के आदेश दिये जाने चाहिये। इन्होंने यह भी कथन किया कि प्रकरण में जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वो संपत्ति पैतृक नहीं होकर श्रीमती मोडीबाई की स्वयं अर्जित आय से क्रय की गई संपत्ति थी इस कारण वो पैतृक संपत्ति नहीं मानी जा सकती है व जो विभाजन पत्र निष्पादित किया गया है उस पर उपरोक्त वर्णित अधिसूचना लागू नहीं होने से पूर्ण मुद्रांक कर अदा करने की जवाबदेही बनती है। उपरोक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत, विधिविरुद्ध है जो निरस्त करने योग्य है।
5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विभागीय पैरोकार की बहस को सुना गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।
8. अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल-42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपत्ति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुये शेष हिस्से की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिए। अप्रार्थीगण ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98-52 के अनुसार पैतृक संपत्ति के बंटवारा नामा पर एक बड़े हिस्से

को छोड़कर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- मुद्रांक कर लिये जाने की रियायत होने की बात कही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेफरेन्स इस आधार पर खारिज किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98-52 के अनुसार पैतृक संपत्ति के बंटवारानामा पर एक बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है एवं विभागीय आदेश दिनांक 01.12.2010 के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार प्रभावी हैं तथा इनसे दी गई रियायत आज भी देय है।

प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नहीं तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 05.10.2009 पर देय है या नहीं। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :-

91. Repeal and Savings —

(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the

provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force,

unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्ठित (Superseded) न कर दी जावें। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है :-

9 - Power to reduce, remit or compound duties

(1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable. इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी

की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नहीं मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :- "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प. 2(50)वित/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियाँ राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियाँ राज्य सरकार को प्राप्त हैं। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 03.08.2011 पर देय है।

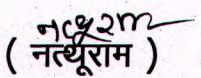
9. निगरानी का अन्य आधार यह है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक नहीं होकर उनके पिता की स्वयं की अर्जित आय से क्रय की गई संपत्ति थी जिससे पैतृक संपत्ति नहीं मानी जा सकती। इस न्यायालय स्तर पर इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि विचाराधीन दस्तावेज से संबंधित संपत्ति पैतृक है या नहीं। पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :- Ancestral Property : If property

came to a son as gift from his father, it can not be regarded his ancestral property. **Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.** इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है।

बंटवारनामा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 05.10.2009 में बंटवारनामा अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हुआ है। दस्तावेज में श्रीमती मोडीबाई का स्वर्गवास होना अंकित है तथा दस्तावेज में यह उल्लेख है कि दस्तावेज से संबंधित संपत्ति श्रीमती मोडीबाई को उनकी माता श्रीमती अम्बाबाई से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार संपत्ति श्रीमती मोडीबाई की है परन्तु अप्रार्थीगण को यह संपत्ति उनकी माता श्रीमती मोडीबाई की मृत्यु के पश्चात विरासतन प्राप्त हुई है जो अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है कि बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति अप्रार्थीगण को उनकी माता की मृत्यु के बाद माता की संपत्ति विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक एवं ऐसे दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के कारण निगरानी सारहीन है एवं खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।


(नित्यराम)
सदस्य